



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234027
CG-DL-E-10032022-234027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]
No. 184]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/ फाल्गुन 18, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सा.का.नि. 187(अ).—जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 88 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) नियमावली, 1977 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:-

- (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) संशोधन नियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) ये 7 जनवरी, 2021 से प्रभावी हुए माने जाएंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) नियमावली, 1977 में, नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(क) निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, अथवा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर

प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, के संबंध में राज्य पुलिस के प्रभारी के रूप में नामित होने वाला पुलिस महानिरीक्षक, 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी होंगे; तथा;"

[फा. सं. 14015/40/2021- अ.भा.से. (I)(12)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

नोट: मूल नियम दिनांक 1977 की अधिसूचना के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार डीपी और एआर की दिनांक 14 जुलाई 1978 की अधिसूचना संख्या 11052/4/78-अभासे(II), के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2022

G.S.R. 187(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with section 88 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), the Central Government, after consultations with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Special Allowance) Rules, 1977, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Special Allowance) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 7th day of January, 2021.
2. In the Indian Police Service (Special Allowance) Rules, 1977 in rule 3, in sub-rule (1), for clause (a) and entries relating thereto, following shall be substituted, namely:-

“(a) Director, Sardar Vallabhabhai Patel National Police Academy, Hyderabad, or Inspector General of Police designated to be in-charge of the State Police in respect of the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, shall with effect from the 1st of January, 1973; and;”

[F. No.14015/40/2021-AIS(I)(12)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification dated 1977 and last amended *vide* DP & AR Notification No. 11052/4/78-AIS (II), dated the 14th July, 1978.